

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी संगरिया

क्रमांक : रीडर/खाला/22/ 614

दिनांक :- 20/5/2023

आदेश

(अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956 जनरल (कॉलोनी कंडीशन्स  
8(1)RCA 1954)

श्री रामकुमार पुत्र श्री लाधूराम जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ ने जरिये अधिवक्ता वाद पत्र संख्या 04/2020 अनवान रामकुमार बनाम स्टेट प्रस्तुत कर चक 2 पीटीपी के खाता संख्या 54/12 जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 के प.न. 155/133 मु.न. 22 के किला नम्बर 4/0.025 है.गै.मु. खाला एवं किला नम्बर 5/0.025 है. गै.मु. खाला दूरुस्त कर गै.मु. खाला के स्थान पर खातेदारी अंकन किये जाने हेतु निवेदन किया।

उक्त प्रार्थना पर तहसीलदार संगरिया ने अपने पत्रांक खाला-रास्ता/भूअ./2023/52 दिनांक 20.05.2023 द्वारा चक 2 पीटीपी प.न. 155/133 मु.न. 22 के किला नम्बर 4/02/0.025 है. व किला नम्बर 5/2/0.025 है. गै.मु. खाला दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है व खाला पर कोई स्थगन नहीं है एवं मौका पर खाला बन्द बतलाते हुए अपनी रिपोर्ट भिजवाई है एवं अध्यक्ष बी.के. 89 ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 20.05.2023 में चक 2 पीटीपी प.न. 155/133 किला नम्बर 4,5 में सिंचाई विभाग के रिकार्ड अनुसार कोई जलमार्ग स्वीकृत नहीं है एव न ही उक्त जल मार्ग के संबंध में किसी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन होना बतलाते हुए अपनी रिपोर्ट भिजवाई है।

अतः उक्त प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार संगरिया चक 02 पीटीपी प.न. 155/133 मु.न. किला नम्बर 4/2/0.025 व किला नम्बर 5/2/0.025 में जलमार्ग गै.मु. खाला को संबधित काश्तकार के नाम नियमानुसार बकाया रकम आदि कोई शेष हो तो जमा कराने के बाद में राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज किया जाना सुनिश्चित करें।

क्रमांक :- सम/ 615-614

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेशित है:-

1. तहसीलदार भू-अभिलेख संगरिया को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश की पालना कर तत्काल रिपोर्ट भिजवाना सुनिश्चित करें।
2. अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड प्रथम हनुमानगढ़।
3. श्री.....।

20/5/23  
(रमेश देव)  
प्रशासक उपखण्ड अधिकारी संगरिया, 2023  
शिसंगरिया (SDO)  
शिविर स्थल... 20/5/23  
दिनांक :- 20/5/2023

20/5/2023  
प्रशासक उपखण्ड अधिकारी संगरिया, 2023  
शिसंगरिया (SDO)  
शिविर स्थल... 20/5/23

